दिनांक 15.06.2021 को

प्रातः 11:30 बजे

वीसी के माध्यम से

एनसीवीईटी परिषद की

तीसरी बैठक

का

कार्यवृत्त

एनसीवीईटी परिषद की तीसरी बैठक दिनांक 15 जून, 2021 को वीसी के माध्यम से अध्यक्ष, डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुलग्नक -I** पर है। सुश्री अलका उपाध्याय, अवर सचिव, एमओआरडी और श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिन्होंने बैठक में भाग नहीं ले सके, को अनुपस्थित रहने की अनूमति दी गई थी।

अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों का गर्मजोशी के असाथ स्वागत किया क्योंकि एक नियमित अध्यक्ष और दो कार्यकारी सदस्यों कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह परिषद की पहली बैठक थी। उन्होंने तब से 37 सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) के साथ विस्तृत बातचीत और कार्रवाई के प्रमुख क्षेत्रों जिन्हें निर्दिष्ट किया गया था, के बारे में भी जानकारी दी।

बैठक की शुरुआत में, अध्यक्ष ने भविष्य के लिए एनसीवीईटी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और 2021-22 के लिए एनसीवीईटी के मूल कार्यसूची को साझा किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एनसीवीईटी टेक प्लेटफॉर्म का विकास, मौजूदा और साथ ही नई अर्हताओं के लिए एनएसक्यूएफ स्तरों के असाइनमेंट की प्रक्रिया की समीक्षा करना, आत्मानिर्भर भारत के लिए कौशल ढांचे को बढ़ावा देना, केंद्र / राज्य सरकारों, पीएसयू और निजी क्षेत्र में पूर्ण एनएसक्यूएफ का कार्यान्वयन, विशेष रूप से उभरती हुई प्रौद्योगिकी/व्यावसायिक क्षेत्रों में एनएसक्यूएफ स्तर 6, 7, 8 और उससे ऊपर की अर्हता विकसित करने के लिए एसएससी और अन्य पुरस्कार देने वाले निकायों को प्रोत्साहित करना, भारतीय अर्हताओं को अंतर्राष्ट्रीय अर्हताओं के साथ संरेखित करना, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान में परिषद में सचिव का पद सृजित करने के लिए सरकार से अनुरोध, आदि शामिल है। **(अनुबंध II)**

1. कार्यसूची बिंदु संख्या सी0301: एनसीवीईटी परिषद की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सदस्यों ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को आयोजित एनसीवीईटी परिषद दूसरी की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. कार्यसूची बिंदु संख्या सी0301: मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों में पात्रता मानदंड में संशोधन की पुष्टि

परिषद को सूचित किया गया था कि कई हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, वित्तीय व्यवहार्यता और पूर्व अनुभव के संबंध में परिषद की दूसरी बैठक में अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाना था। अध्यक्ष, एनसीवीईटी के अनुमोदन से दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय आदेश संख्या 32001/25/2020/एनसीवीईटी/543 (क) के तहत एनसीवीईटी की वेबसाइट पर डाल दिया गया। संशोधन एक मूल्यांकन एजेंसी द्वारा आवश्यक न्यूनतम कारोबार के सन्दर्भ में, जो पिछले 3 वित्तीय वर्षों में संचयी रूप से था, राज्यों की श्रेणी के अनुसार, जिसके लिए वह मान्यता प्राप्त करना चाहता है, इस प्रकार है : -

माँगी गई मान्यता	न्यूनतम कारोबार
श्रेणी I राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र30 लाख रु.
श्रेणी II राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र70 लाख रु.
अखिल भारत स्तर पर	3 करोड़ रु.

यदि कोई कंपनी 1 से अधिक राज्यों के लिए मूल्यांकन एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करती है, तो आवश्यक न्यूनतम कारोबार राज्य की श्रेणी के अनुसार लागू किए गए सभी राज्यों के लिए कारोबार का योग होगा। हालांकि, किसी मूल्यांकन एजेंसी के लिए आवश्यक अधिकतम कारोबार 3 करोड़ रुपये होगा, भले ही आवेदन करने वाले राज्यों की संख्या कितनी भी क्यों न हो।

संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) और श्रेणी I के उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में वित्तीय व्यवहार्यता में छूट भी भी दी गई है, यदि उसके अधिकार क्षेत्र में मूल्यांकन एजेंसियों की पर्याप्त संख्या में कमी है और मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्था प्रामाणिक दस्तावेजों

द्वारा समर्थित उचित कारणों के साथ पूर्व अनुभव और न्यूनतम वित्तीय व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने में असमर्थ है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, यदि कोई संस्था अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार करने का इरादा रखती है, तो वह उस राज्य की श्रेणी के आधार पर पूर्व अनुभव (मान्यता प्राप्त राज्य में) के हिस्से के रूप में अतिरिक्त 50% मूल्यांकन सुनिश्चित करेगी जिसमें वह मान्यता प्राप्त करना चाहता है। दिल्ली और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में मूल्यांकन होने के कारण, उन्हें पूर्व अनुभव के तहत छूट से बाहर रखा गया है।

परिषद ने मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों में पात्रता मानदंड में किए गए संशोधनों की पुष्टि की।

3. कार्यसूची मद सं. सी0303: वर्दी प्रमाणन - एनसीवीईटी

परिषद को इस बात से अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी द्वारा विकसित क्रमशः अल्पाकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए यूनिफार्म प्रमाणपत्र प्रारूपों पर चर्चा की गई थी और दिनांक .... को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में परिषद् द्वारा इसे अपनाया गया था। इसके बाद इन्हें 27 अक्टूबर, 2020 को इसे लॉन्च किया गया था।

एक व्याख्यात्मक नोट के साथ प्रमाण पत्र प्रारूप को छह महीने के भीतर या नए शैक्षणिक सत्र से इसे अपनाने के लिए सभी अवार्डिंग बॉडी के साथ साझा किए गए थे।

तत्पश्चात, कुछ हितधारकों ने अभ्यावेदन दिया कि उस अल्पावधि प्रमाणपत्र में योजना का नाम इंगित करने का प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत उम्मीदवार को प्रशिक्षित किया गया है। तदनुसार, प्रमाणपत्र को एक बार फिर से संशोधित किया गया ताकि योजना प्रतीक चिह्न (लोगो) और कुछ संपादकीय परिवर्तनों को शामिल किया जा सके। इसे आगे माननीय मंत्री, एमएसडीई द्वारा अनुमोदित किया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी मौजूदा अवार्डिंग बॉडी के साथ साझा किया गया।

परिषद ने एनसीवीईटी के यूनिफॉर्म सर्टिफिकेट में किए गए संशोधनों को नोट किया।

4. कार्यसूची मद सं. सी0304: डिजिलॉकर के साथ सहयोग

परिषद को बताया गया कि एनसीवीईटी एक राष्ट्रीय कौशल प्रमाणपत्र रिपॉजिटरी बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और डिजिलॉकर टीम के साथ विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया गया और इस बात पर सहमति बनी कि एनसीवीईटी की मान्यता के साथ जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों के लिए डिजिलॉकर द्वारा एक राष्ट्रीय कौशल प्रमाणपत्र रिपॉजिटरी होस्ट किया जाएगा। डिजिलॉकर के साथ एकीकृत करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडी (एबी) को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

हस्ताक्षर के लिए एक मसौदा समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है।

परिषद के सदस्यों ने किए गए प्रयास की सराहना की और एनसीवीईटी और डिजिलॉकर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर प्रस्तावित हस्ताक्षर का समर्थन किया।

5. कार्यसूची मद संख्या सी0305: एनओएस के कॉमन पूल का मानकीकरण

परिषद को यह बताया गया कि राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) के माध्यम से लागू किया जा रहा है जो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और अर्हताओं को स्वीकृति देने के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक एनओएस नौकरी की भूमिका में एक महत्वपूर्ण कार्य को परिभाषित करता है और अर्हता उस नौकरी की भूमिका से जुड़े एनओएस का एक सेट है।

किसी भी अर्हता के लिए प्रयोज्यता के अनुसार निकायों को अपनाने या उधार लेने के लिए संबंधित हितधारकों को सक्षम करने हेतु मानकीकृत एनओएस (जो विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए कई क्षेत्रों द्वारा आवश्यक हो सकता है) का एक कॉमन पूल विकसित करने का प्रस्ताव है। एनओएस अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी होना चाहिए।

मानकीकृत क्यूपी-एनओएस के ऐसे कॉमन पूल की एक सांकेतिक सूची अनुलग्नक III में है। परिषद को यह जानकारी दी गई कि "एनएसक्यूएफ अर्हता फ़ाइल टेम्पलेट के मानकीकरण" पर एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जो अन्य के साथ-साथ एनओएस के अनुमोदन के लिए तंत्र को भी देखेगी।

परिषद के सदस्यों ने एनओएस के सामान्य पूल के मानकीकरण के मामले पर **ध्यान दिया।**

6. कार्यसूची मद सं. सी0306: क्रेडिट ढांचा

परिषद को यह बताया गया था कि व्यावसायिक योग्यता के लिए एक क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करना राष्ट्रीय कौशल नीति 2015 के मुख्य उद्देश्यों में से एक है और इसे दिनांक 27 दिसंबर 2013 की एनएसक्यूएफ राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भी अनिवार्य किया गया है। एक राष्ट्रीय स्तर के क्रेडिट फ्रेमवर्क की आवश्यकता है ताकि इसके संचय और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) प्रणाली के साथ-साथ वीईटी और सामान्य शिक्षा प्रणालियों के बीच क्रेडिट का हस्तांतरण को सक्षम बनया जा सके। यह न केवल व्यावसायिक शिक्षा के लिए मार्गों की उपलब्धता में वृद्धि करेगा बल्कि बहु प्रवेश और एकाधिक निकास विकल्प भी प्रदान/सक्षम करेगा जिससे व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की समग्र धारणा, सम्मान और स्थिति में सुधार होगा।

एनसीवीईटी ने दिनांक 09 अक्टूबर 2020 को एक क्रेडिट सिस्टम को परिभाषित करने के लिए एक कोर कमेटी और तीन उप-समितियों की स्थापना की थी, जो क्रेडिट संचय और अल्पकालिक से दीर्घकालिक अर्हता और व्यावसायिक शिक्षा से स्कूल / हायर एजुकेशन और इसके विपरीत दोनों को सक्षम करती है। यूजीसी, एआईसीटीई, डीजीटी और एनएसडीसी और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद, एनसीवीईटी में क्रेडिट फ्रेमवर्क पर एक मसौदा नीति तैयार की गई थी।

प्रस्तावित क्रेडिट फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं के बारे में परिषद को विस्तार से बताया गया।

इस विषय पर हितधारकों के साथ आगे की बातचीत चल रही है। एक बार जब मसौदा अंतिम रूप से तैयार हो जाता है तो इसे परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

परिषद ने अब तक इसमें हुई प्रगति को नोट किया और पाया कि एक मजबूत क्रेडिट प्रणाली का होना समय की मांग है। परिषद ने आगामी बैठकों में इसका अद्यतन रूप प्रस्तुत करने की सलाह दी।

7. कार्यसूची मद संख्या सी0307: अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता:

परिषद को इस बात से अवगत कराया गया था कि परिषद द्वारा दिनांक 20.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश और संचालन नियमावली' को अपनाने के बाद, इसे 27 अक्टूबर, 2020 को लॉन्च किया गया था। प्रशिक्षण में निरंतरता, सभी मौजूदा अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों को एक वर्ष की संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी। इन निकायों को छह महीने के भीतर एनसीवीईटी की मान्यता के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई थी ताकि एनसीवीईटी संक्रमण अवधि की समाप्ति से पहले अपने आवेदन को संसाधित कर सके।

एनसीवीईटी को अब तक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल 99 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

आवेदन के प्रकार	अवार्डिंग बॉडी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुरोध			मूल्यांकन एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुरोध	दोहरी मान्यता श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुरोध	कुल योग
	एसएससी	अन्य	योग			
	23	09	32	61	06	99

आवेदनों की जांच की जा रही है और यह प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉक-डाउन के दौरान एबी और एए द्वारा समय व्यतीत हो जाने के कारण आवेदनों के प्रोसेसिंग में प्रत्याशित देरी है। साथ ही एनसीवीईटी को कर्मचारियों और परामर्शदाताओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, कुछ मौजूदा स्टाफ सदस्य/उनके परिवार स्वयं कोविड से प्रभावित हुए। इन मुद्दों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रिक्त पदों को भी प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है।

परिषद ने बढ़े हुए कार्य भार को संभालने के लिए अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता सहित एनसीवीईटी द्वारा बताई गई वास्तविक कठिनाइयों को स्वीकार किया और एनसीवीईटी को आवेदनों के शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी।

8. कार्यसूची मद सं. सी0308: अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता को मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण का प्रत्यायोजन

परिषद को अवगत कराया गया था कि अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश में यह प्रावधान है कि मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज/मूल्यांकन एजेंसियों के रूप में आवेदक संगठन के अनुमोदन या अस्वीकृति पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता वाली परिषद के पास होंगी और परिषद की बैठक एक वर्ष में हर तिमाही में या अध्यक्ष, एनसीवीईटी के निर्देशों के आधार पर आयोजित की जाएगी।

हालांकि, यह देखते हुए कि एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और भविष्य में इस तरह के और प्रस्तावों की उम्मीद है, परिषद की बैठकों को बार-बार बुलाने की आवश्यकता हो सकती है, जो हमेशा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया था कि ऐसी शक्तियां परिषद द्वारा एक छोटी उप-समिति को प्रत्यायोजित की जाएं।

तदनुसार, यह प्रस्तावित किया गया था कि अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों के आवेदनों के आधार पर मान्यता देने या अस्वीकार करने की परिषद की शक्तियों को निम्नलिखित संरचना के साथ एक उप-समिति को प्रत्यायोजित किया जाए:

क) अध्यक्ष, एनसीवीईटी - अध्यक्ष

ख) कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी - सदस्य

ग) कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी सदस्य

घ) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य विशेषज्ञ/एनसीवीईटी अधिकारी।

उप-समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टी के लिए परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

एबी और एए को मान्यता देने के लिए प्रस्तावों की मात्रा और समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, परिषद उप-समिति को एबी और एए की मान्यता के लिए आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकार करने का अधिकार इस शर्त के अधीन सौंपने के लिए सहमत हुई कि उप-समिति द्वारा लिए गए निर्णय पुष्टी के लिए परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

9. कार्यसूची मद सं. सी0309: अवार्डिंग बॉडीज द्वारा अर्हताओं को अपनाने के लिए दिशानिर्देश

परिषद को यह बताया गया था कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (पूर्वनाम एनएसडीए) मूल्यांकन और प्रमाणन के विवरण के साथ एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए

विभिन्न अवार्डिंग बॉडीज से अर्हता प्राप्त करता है। एनएसक्यूएफ के परिचालन पहलुओं से संबंधित कई चुनौतियां सामने आई हैं जैसे- अर्हता का दोहराव, अर्हता विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय एबी की सीमित क्षमता, मूल्यांकन और प्रमाणन में एकरूपता / गुणवत्ता आश्वासन आदि।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, कई अवार्डिंग बॉडीज द्वारा पहले से ही अनुमोदित अर्हताओं के उपयोग की सुविधा के लिए एक तंत्र की परिकल्पना की गई थी और वर्ष 2019 में अर्हता को अपनाने पर दिशानिर्देश एक पायलट के रूप में पूर्ववर्ती एनएसडीए द्वारा जारी किए गए थे।

जमीनी स्तर पर अनुभव के आधार पर, विभिन्न हितधारकों के परामर्श में इसे अपनाने के लिए दिशा-निर्देशों में सुधार किया गया है। एक बार परामर्श प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे अपनाने के लिए परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

परिषद ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया।

10 कार्यसूची बिंदु संख्या सी0310: चेक/पीएफएमएस पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुसमर्थन

परिषद ने एनसीवीईटी की ओर से एनसीवीईटी के दोनों खातों के लिए चेक/पीएफएमएस के हस्ताक्षरकर्ताओं के प्राधिकरण की सीमाओं पर विचार किया और कार्यसूची में प्रस्तावित के अनुसार इसकी पुष्टि की।

परिषद ने यह भी नोट किया कि चूंकि एनसीवीईटी में एक नियमित अध्यक्ष पहले ही कार्यभार ग्रहण कर चुका है, ऐसे प्रशासनिक मामले अध्यक्ष की शक्तियों के भीतर हैं।

11. कार्यसूची बिंदु संख्या सी0311: 2019-20 के लिए एनएसडीए के वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन

परिषद ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एनएसडीए के अंतिम लेखाओं पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया, सी&एजी पैनलबद्ध लेखाकार कंपनी (श्रीमती अग्रवाल अनिल एंड कंपनी) द्वारा सत्यापित और अंतिम रूप दिया गया, और उन्हें उसी के सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए सीएजी को अग्रेषित किया गया।

12. कार्यसूची बिंदु संख्या सी0312: चालू बैंक खाता खोलना

परिषद ने केनरा बैंक खाते का संचालन करते समय एनसीवीईटी के सामने आने वाली समस्या पर विचार किया। बेहतर बैंक सेवाओं की आवश्यकता और फ्लोटिंग आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) के एनसीवीईटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने 'कोटक महिंद्रा बैंक', के साथ 'एनसीवीईटी परिषद का कोष' शीर्षक से चालू बैंक खाता खोलने के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के अध्याय VI में दिया गया है।

13. कार्यसूची बिंदु संख्या सी0313: सरकारी आवास के लिए एनसीवीईटी अधिकारियों की पात्रता

परिषद को यह बताया गया कि एनसीवीईटी केंद्र सरकार के आवासीय आवास के लिए पपात्र कार्यालय नहीं है और यह अधिकारियों द्वारा एनसीवीईटी में भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन नहीं करने का एक प्रमुख कारण बना हुआ है।

परिषद ने आवश्यक कदम उठाने अर्थात एनसीवीईटी को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों (अध्यक्ष और कार्यकारी/सदस्य जिनके लिए अलग से प्रावधान पर विचार किया जा रहा है) को आवासीय आवास के आवंटन के लिए एक पात्र कार्यालय बनाने के लिए आवास हेतु कैबिनेट समिति (सीसीए) में मामले को उठाने के लिए कबिनेट नोट तैयार करने और एमएसडीई से अनुरोध करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी।

14. कार्यसूची बिन्दु सं. सी0314: वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी

परिषद ने दिनांक 05 दिसंबर, 2018 के एनसीवीईटी अधिसूचना के खंड 39(5) अर्थात "सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा में परिषद के प्रदर्शन की लेखा परीक्षा शामिल नहीं होगी" के संबंध में सी&एजी द्वारा आरक्षण को नोट किया और इस पर विचार किया गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एनसीवीईटी भी ट्राई आदि की तरह एक विनियामक निकाय है, और यह कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, परिषद ने दिनांक 05 दिसंबर, 2018 के एनसीवीईटी अधिसूचना के खंड 39(5) के अधीन एनसीवीईटी के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए फिर से सी&एजी से संपर्क करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी।

15. कार्यसूची बिन्दु सं. सी0315: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान का आवंटन

परिषद ने 19.59 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बीई के मुकाबले एनसीवीईटी के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 16 करोड़ रुपये के बजट राशि का आवंटन नोट किया।

परिषद ने आगे एनसीवीईटी आदि के लिए एकीकृत तकनीकी मंच के विकास और तैनाती सहित अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त बजट आवंटन के लिए एमएसडीई से संपर्क करने की सलाह दी।

16. कार्यसूची बिंदु संख्या सी0316: एनसीवीईटी के पात्र अधिकारियों को लैपटॉप, नोटबुक और अन्य समान तरह के उपकरण प्रदान करने की नीति

परिषद ने एनसीवीईटी के पात्र अधिकारियों को लैपटॉप, नोटबुक और अन्य समान तरह के उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एनआईएफटी की नीति को अपनाने पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इसके लिए अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों, एनसीवीईटी को लैपटॉप की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति और निदेशक, एनसीवीईटी के स्तर के अधिकारियों के लिए 80,000/- (कर अतिरिक्त) रुपये तक की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होगी जब तक की एनसीवीईटी अपनी नीति बना नहीं लेता अनुमोदन के लिए परिषद के समक्ष लाया जाएगा।

17. कार्यसूची बिन्दु सं. सी0317: स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

परिषद ने एनसीवीईटी में तकनीकी के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों की मात्रा में वृद्धि पर विचार करने के बाद एनसीवीईटी में मौजूदा स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी:

i. 15 से 24 तक परामर्शदाता
ii. 05 से 10 तक डीईओ
iii. प्रत्येक निदेशक स्तर के अधिकारी के लिए पीए और
iv. आवश्यकता के अनुसार कार्यालय सहायक और अन्य कर्मचारी।

18. कार्यसूची बिन्दु संख्या सी0318: एनसीवीईटी कार्यालय के लिए भवन/भूमि के लिए प्रस्ताव

परिषद को डीजीटी द्वारा एनसीवीईटी भवन की पहली मंजिल के अधिभोग के संबंध में सीएजी के लेखापरीक्षा पैरा के बारे में जानकारी दी गई थी। आगे बताया गया कि डीजीटी को उनके बजट से किराए का भुगतान करने की सलाह दी गई है।

परिषद को एनसीवीईटी को कार्यालय स्थान/परिसर प्रदान करने और एआईसीटीई जैसे विनियामकों की तर्ज पर स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए संपदा निदेशालय (सचिव, यूडी मंत्रालय) को किए गए अनुरोध के बारे में भी बताया गया।

परिषद ने इसे भी नोट किया।

19. कार्यसूची बिंदु संख्या सी0319: एनसीवीईटी के उप-नियमों का गठन

परिषद ने अन्य विनियामकों जैसे (एआईसीटीई, यूजीसी, आईसीएआर, एनसीटीई, आदि) के अनुरूप एनसीवीईटी उप-नियमों के निर्माण के प्रस्ताव को नोट किया। परिषद ने आगे कहा कि एक बार मसौदा उप-नियम तैयार हो जाने के बाद इसे परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए लाया जा सकता है।

20. कार्यसूची मद सं. सी0320: आकस्मिक स्थिति में अर्हता संबंधी मामलों पर लिए गये निर्णय के सन्दर्भ में अध्यक्ष, एनसीवीईटी को शक्ति का प्रत्यायोजन

यह चर्चा की गई कि एनसीवीईटी आम तौर पर हर महीने राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की बैठक आयोजित करता है। हालाँकि, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियाँ / उदाहरण हैं जिनमें अर्हता को विभिन्न कारणों जैसे कि आपातकालीन परिदृश्यों (महामारी, तूफान, भूकंप, युद्ध या अन्य आपात स्थितियों) या कुछ अदालत के निर्णयों/कानूनी मुद्दे आदि के कारण तत्काल अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया था कि अध्यक्ष, एनसीवीईटी को ऐसी तत्काल/आपातकालीन स्थिति में अर्हता को अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की जाए, जिसे आगामी एनएसक्यूसी की बैठक में पुष्टि किया जा सके।

परिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

21. कार्यसूची मद सं. सी0321: अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं (8वीं अनुसूची भाषाएं) में अर्हता का विकास

परिषद को यह बताया गया कि अंग्रेजी भाषा हमेशा शिक्षा, विशेष रूप से उच्चतर / व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए एक बाधा रही है।
इसके समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के छात्रों / प्रशिक्षुओं को संबंधित भारतीय भाषा में निर्देश और शिक्षण सामग्री (अर्हता और पाठ्यक्रम सहित) के माध्यम से पढ़ाया और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा है।

प्रस्ताव पर विचार करने के बाद परिषद ने निम्नलिखित प्रस्ताव की मंजूरी दी:

i. अवार्डिंग/सबमिटिंग बॉडीज द्वारा एनएसक्यूएफ संरेखण प्रक्रिया के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी में योग्यता विकसित करना और इसे एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।
ii. अवार्डिंग/सबमिटिंग बॉडीज इन योग्यताओं, और संबंधित पाठ्यक्रम, राज्य की हिंदी और अन्य भारतीय भाषा में प्रशिक्षण संसाधनों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेंगे जहां व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की परिकल्पना की गई है।
iii. देश के किसी भी हिस्से में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए किसी अन्य अवार्डिंग बॉडी द्वारा इन योग्यताओं को अपनाने के लिए, ऐसे अंगीकार करने वाले अवार्डिंग बॉडी को संबंधित राज्य की भारतीय भाषा में योग्यता को परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है, जहां अंगीकार की गई योग्यता को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने का इरादा है।
iv. अवार्डिंग/सबमिटिंग बॉडीज को सभी मौजूदा एनएसक्यूएफ की संरेखित अर्हताओं की सामग्री को हिंदी और भारतीय भाषाओं में उसकी प्रयोज्यता के अनुसार परिवर्तित करने के लिए छह महीने से एक वर्ष तक का समयसीमा दिया जा सकता है।

22. कार्यसूची मद सं. सी0322: एनसीवीईटी में केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के तहत प्राधिकारियों

परिषद ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के तहत एनसीवीईटी में विभिन्न प्राधिकारियों के लिए विचार किया गया और अपनी मंजूरी दी, जैसा कि नीचे बताया गया है: -

पदों का समूह	अनुशासनिक प्राधिकारी (बड़े दंड के लिए)	अनुशासनिक प्राधिकारी (बड़े दंड के लिए)	अपीलीय प्राधिकारी समीक्षा प्राधिकारी
समूह 'क'	कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	कार्यकारी सदस्य, अध्यक्ष, एनसीवीईटी के अनुमोदन से	अध्यक्ष, एनसीवीईटी
समूह 'ख'	कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	अध्यक्ष, एनसीवीईटी
समूह 'ग'	निदेशक (प्रशासन), एनसीवीईटी	कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी	अध्यक्ष, एनसीवीईटी

अनुलग्नक I

दिनांक 15.06.2021 को एनसीवीईटी परिषद की तीसरी बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पदनाम और संगठन
1,	डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी	अध्यक्ष, एनसीवीईटी
2.	डॉ नीना पाहुजा	ईएम, एनसीवीईटी
3.	डॉ. विनीता अग्रवाल	ईएम, एनसीवीईटी
4.	सुश्री जुथिका पाटणकर	अपर सचिव, एमएसडीई और नॉन-ईएम, एनसीवीईटी
5.	सुश्री अनुराधा प्रसाद	विशेष सचिव, एमओएलई, और नॉन-ईएम, एनसीवीईटी
6.	श्री एस बी सिंह	डी डी जी एमओएलई
7.	श्री सुशील अग्रवाल	निदेशक, एनसीवीईटी
8.	कर्नल संतोष कुमार	निदेशक, एनसीवीईटी
9.	लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन चौधरी	निदेशक, एनसीवीईटी

निम्नलिखित सदस्यों को बैठक में अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी		
1,	सुश्री अलका उपाध्याय	अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और नॉन-ईएम, एनसीवीईटी
2.	श्री। संजय कुमार	संयुक्त सचिव, समझौता ज्ञापन और नॉन-ईएम, एनसीवीईटी

अनुलग्नक II

वर्ष 2021-22 के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद के लिए बुनियादी कार्य की कार्यसूची।

1. एनसीवीईटी के अध्यक्ष और ईएम ने सभी 37 एसएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठकें कीं और उनकी एसडब्ल्यूओटी, प्राथमिकताओं, मुद्दों, भविष्य की योजनाओं आदि को समझने के लिए उनकी टीमों के साथ बातचीत की।
2. एनसीवीईटी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के ढांचे और प्रणालियों को बढ़ावा देने और उन्हें सक्षम करके अगले 3 वर्षों में 2,00,00,000 (2 करोड़) व्यक्तियों को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रयास करेगा।
3. मजबूत डेटाबेस के साथ एनसीवीईटी टेक प्लेटफॉर्म (जिसे एनसीवीईटी डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल कहा जाता है) का विकास। एनसीवीईटी एसएससी, एबी, एए, एसआईपी, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के पंजीकरण, एलएमएस, टीओटी, टीओए, वर्चुअल ट्रेड/जॉब फेयर आयोजित करने और इस वीईटी प्लेटफार्म एज ए सर्विस (वीईटी - पीएएएस) पर कोई अन्य आईटी सेवायें जैसे अपने सभी हितधारकों के लिए इस प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण कर रहा है और इसे उन सब के लिए प्रदान करेगा।
4. राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित और क्रेडिट आधारित कौशल ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए एनएसक्यूसी में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे मौजूदा और साथ ही नए योग्यता पैक को एनएसक्यूएफ स्तरों के असाइनमेंट की प्रक्रिया की समीक्षा करना।
5. आत्मानिर्भर भारत के लिए कौशल ढांचे को बढ़ावा देना - नए क्षेत्रों में योग्यता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जहां व्यवसाय / विनिर्माण अन्य देशों से भारत में स्थानांतरित हो रहा है।
6. केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में पूर्ण एनएसक्यूएफ का कार्यान्वयन।

7. एसएससी, अवार्डिंग बॉडी, कौशल विश्वविद्यालय, अन्य अवार्डिंग बॉडीज को उभरती हुई प्रौद्योगिकी/व्यावसायिक क्षेत्रों में एनएसक्यूएफ स्तर 6, 7, 8 और उससे ऊपर की अर्हता विकसित करने की सलाह दी जानी चाहिए।
8. वैश्विक प्लेसमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग्यता मानक के साथ नई प्रौद्योगिकियों को विधिवत शामिल करते हुए भारतीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की अर्हता को संरेखित करने के लिए कदम उठाना।
9. एनसीवीईटी प्रमाणन की वैश्विक मान्यता: हमारे एनसीवीईटी प्रमाणित जनशक्ति की वैश्विक स्वीकृति के लिए अन्य देशों में एनसीवीईटी प्रमाणन को मान्यता देने के लिए एक सम्मिलित प्रयास।
10. एनईपी 2020 के नीति में व्यावसायिक शिक्षा के 70 से अधिक संदर्भ हैं। इसलिए, हमें अपने एसएससी को न केवल एक व्यवसाय के रूप में बल्कि शौक के रूप में विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए अर्हता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
11. एनसीवीईटी भी एमएसडीई के सहयोग से कौशल विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को पूरा करने के अग्रिम चरण में है।
12. एमएसडीई और अन्य मंत्रालयों/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के परामर्श से अनुसंधान और नवाचार विषयों/परियोजना की पहचान करना।
13. अगले 12 से 18 महीनों में इस कार्यकारी निकाय को एक वैधानिक निकाय में बदलने के लिए एनसीवीईटी अधिनियम का मसौदा तैयार करना, जैसा कि एनसीवीईटी बनाने वाले कैबिनेट नोट में भी इसकी परिकल्पना की गई है।
14. भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान पर परिषद में सचिव का पद सृजित करने के लिए सरकार से अनुरोध।

37 एसएससी के साथ एनसीवीईटी की बातचीत से शिक्षण : एसएससी को निम्न को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना

1. एसएससी की कौशल सूची और क्यूपी को परिशोधित करने, पुन: संरेखित करने, नवीनीकृत करने और अनावश्यक अर्हता को हटाने की आवश्यकता है।

2. एसएससी भविष्य के उद्योग/व्यापार/बाजार की जरूरतों के आधार पर अर्हता विकसित करना है। उभरती/भविष्य की जरूरतों और अनुसंधान एवं विकास पर आधारित नए क्यूपी को भी विकसित किया जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अंतर-क्षेत्रीय, क्रॉस-क्षेत्रीय, भविष्यवादी क्यूपी विकसित करें।
3. परिधान, हस्तशिल्प, चमड़ा, जी&जे, फर्नीचर और अन्य क्षेत्रों के लिए क्लस्टर वार स्किल गैप अध्ययन भी आयोजित करें। एसएससी और संबंधित मंत्रालय इन क्लस्टरों के विकास पर काम कर सकते हैं।
4. एसएससी को अप्रेंटिसशिप के अवसरों पर भी अधिक जोर देना चाहिए, जो पहले से कार्यरत जनशक्ति के 15% को रोजगार प्रदान कर सकता है।
5. एसएससी को आईआईटी, एनआईटी, सीएसआईआर, अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, अच्छा प्रदर्शन करने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेजों/आईटीआई के साथ सहयोग करना चाहिए और उन्हें उत्कृष्टता के अकादमिक केंद्रों के रूप में जोड़ना चाहिए।
6. एसएससी द्वारा डिजाइन की गई अर्हताएं और प्रशिक्षण स्वरोजगार मॉडल, उद्यमिता, ग्रामीण-उद्यमिता, सूक्ष्म उद्यमिता के लिए उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए।
7. असंगठित क्षेत्रों में कार्यबल को भी एसएससी द्वारा निजी क्षेत्र की पहल के साथ-साथ पिछले शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
8. एसएससी को अपने सचिवालय और विशेषज्ञों के पूल को अधिक सटीक कौशल अंतराल विश्लेषण करने, उच्च स्तर पर नई अर्हताएं बनाने, गुणवत्तापूर्ण कौशल, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग प्रदान करने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए टीपी की बेहतर निगरानी के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक III

एनओएस के कॉमन पूल का मानकीकरण (प्रत्येक में विभिन्न स्तर)

1. सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स।
2. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता।
3. डिजिटल साक्षरता।
4. वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान।
5. कार्यस्थल पर बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा अभ्यास।
6. कार्यस्थल पर संसाधन उपयोग को अनुकूलन करना।
7. बुनियादी ग्राहक प्रबंधन कौशल।
8. स्वयं और संगठन की सकारात्मक छवि बनाना।
9. एक टीम/संगठन में प्रभावी ढंग से और दक्षतापूर्वक काम करना।
10. सहयोग और समन्वय।
11. अनुशासन, आत्म-अनुशासन और राष्ट्रीय चरित्र को विकसित और आत्मसात करना।
12. सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन।
13. कार्यस्थल पर बुनियादी सामग्री और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रथाएं।
14. जल संरक्षण और प्रबंधन।
15. हरित और पर्यावरण संरक्षण।
16. कोविड प्रोटोकॉल व्यवहार।
17. जेंडर संवेदीकरण।
18. आईपीआर का सम्मान और रखरखाव।
19. बुनियादी व्यवसाय का प्रबंधन।
20. विभिन्न कार्यालय उपकरणों का संचालन और उपयोग।
21. ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना।
22. रोजगार के लिए बुनियादी अंग्रेजी का प्रयोग करें – संस्करण I और II
23. रोजगार के लिए सामान्य कौशल का उपयोग करें - संस्करण I और II
24. बुनियादी उद्यमी गतिविधि की योजना बनाना ।
25. कार्यस्थल पर बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं का प्रयोग करें।
26. रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ीकरण करना।

27. गुणवत्ता की जांच करें।
28. व्यावसायिक/कार्य नैतिकता और व्यवहार की मूल बातें।
29. कानून की मूल बातें और कानून का शासन।
30. नागरिकों/कामगारों के कर्तव्य और अधिकार।

*****